फार्म 'अ'

(परिपत्र दो–1 की कंडिका 6 देखिये)

राजस्व आदेश–पत्र (रिव्हेन्यु ऑर्डर शीट)

अनुविभागीय अधिकारी (रा.) डोंगरगांव के न्यायालय में मामला कमांक 2025030910000/16 सन् 2024 –25

विषय – **अवैध लकडी कटाई** मावजे की श्रेणी **अ/62**

ग्राम **केसाल** बन्दोबस्त क्रमांक .... पटवारी हल्का कमांक 02 .... तहसील **कुमरदा**

कलेक्टर का कमांक .... सन् 2024–25 अनुविभागीय अधिकारी का क्रमांक ....सन् 2024–25

तहसीलदार का कमांक .... सन् 2024–25 नायब तहसीलदार का कमांक .... सन् 2024–25

आदेश अथवा कार्यवाही की तारीख और स्थान	पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर सहित आदेश अथवा कार्यवाही **छ.ग.शासन वि. मोहन लाल साहू**	जहां आवश्यक हो, पक्षों अथवा वकीलों के हस्ताक्षर, आदेशों का पालन करने वाले लिपिक के संक्षिप्त हस्ताक्षर और ऐसे पालन की तारीख
1	2	3
02.04.2025	तहसीलदार कुमरदा के ज्ञापन क्रमांक/134/तह./2025 छुरिया, दिनांक 01.04.2025 अनुसार ग्राम केसाल, प.ह.नं. 02, रा.नि.मं. कुमरदा, तहसील कुमरदा, जिला राजनांदगांव का निवासी मोहन आ. धनसू, जाति तेली, के नाम पर खसरा नंबर 677 रकबा 0.283 हे. भूमि स्वामी राजस्व अभिलेख में भूमि स्वामी हक में दर्ज है। उपरोक्त भूमि स्वामी द्वारा अपने भूमि स्वामी हक की भूमि में लगे वृक्ष प्रजाति आम वृक्ष को मजदूरों द्वारा ट्रेक्टर ट्राली में भर कर परिवहन हेतु ले जो के लिए रखा था, ट्रेक्टर क्रमांक सी.जी. 08 ए.जेड. 1393 जिसका सोनालिका ट्राली क्रमांक स्पष्ट नहीं है। वाहन मालिक रमेश कुमार साहू आ. सुखदेव, जाति तेली एवं वाहन चालक देवेन्द्र साहू आ. मन्नूलाल, जाति तेली निवासी ग्राम मुंजालपाथरी का है। जिसे मौके पर राजस्व निरीक्षक कुमरदा, हल्का पटवारी एवं ग्राम कोटवार की उपस्थिति में जप्त किया गया है एवं थाना प्रभारी गैंदाटोला के सुपुर्दगी में दिया गया है। प्रकरण दर्ज करे। प्रकरण में भूमि स्वामी मोहन लाल साहू आ. धनसू राम साहू, निवासी ग्राम केसाल, तहसील कुमरदा का शपथपत्र प्रस्तुत किया है। उन्होने अपने शपथपत्र में बताया है कि ग्राम केसाल में अपने भूमि स्वामी हक की भूमि खसरा नंबर 677 रकबा 0.283 हे. भूमि में आम का पेड था व फल नहीं लगता था, जो कि 5 वर्ष पहले सूख चुका था तथा टूटकर खेत में गिरता था जिसके कारण अनावेदक को कृषि कार्य करने में काफी समस्या का सामना करना पड़ता था। उक्त खेत में स्थित आम पेड को अनावेदक द्वारा काटकर अपने रिश्तेदार को बिना	

किसी राशि या लेनदेन के जलाने के लिए दिया गया था व उक्त सुखे हुए पेड़ को काटने के लिये गांव वालों की सहमति लिया गया व ट्रेक्टर क्रमांक सी.जी. 08 ए.जेड. 1393 में लोड किया गया था, जिसे किसी के गलत सूचना जानकारी के आधार पर राजस्व निरीक्षक के द्वारा पकड़ा गया है। जिसके कारण ट्रेक्टर मालिक को परेशानी हो रही है।

प्रकरण में तहसीलदार छुरिया द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन व संलग्न दस्तावेज का अवलोकन किया गया। ग्राम केसाल, तहसील कुमरदा स्थित भूमि खसरा नंबर 677 रकबा 0.283 हेक्टेयर जो कि अनावेदक मोहन लाल साहू आ. स्व. धनसू राम साहू, निवासी ग्राम केसाल के भूमिस्वामी हक में दर्ज है। उक्त भूमि पर स्थित आम प्रजाति के वृक्ष को अवैध रूप से कटाई कराकर अपने रिश्तेदार को बिना किसी राशि या लेनदेन के जलाने के लिदया गया था। अनावेदक द्वारा आम प्रजाति के वृक्ष को बिना अनुमति के कटाई किये जाने के कारण भू.रा.सं. 1959 के बने प्रावधान के तहत 5000/- (अक्षरी पांच हजार रूपये) अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अनावेदक आरोपित अर्थदण्ड की राशि खजाना दाखिल करे। जप्त शुदा आम प्रजाति के वृक्षो की काष्ठ को अनावेदक के सुपुर्द किया जावे। बाद प्रकरण नस्तीबद्ध कर दा.द. करे।

आज दिनांक 27/04/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा से आदेश पारित एवं खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
डोंगरगांव
जिला राजनांदगांव (छ.ग.)